न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–336 / 2026
पंडारक थाना कांड संख्या–60 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 351(2), 352, 3(5) बीएनएस एवं 27 शस्त्र अधिनियम

07.08.2026

याचिकाकर्ता–1. राजेश कुमार उर्फ कुमुद रंजन प्रसाद, पिता–डेगन पासवान की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–06.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 351(2), 352, 3(5) बीएनएस एवं 27 शस्त्र अधिनियम से संबंधित पंडारक थाना कांड संख्या–60 / 2026, दिनांक–10.03. 2026, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इसके अलावे दो मामले लंबित है, जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदक निर्दोष हैं, जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना–कारित नहीं किया गया है, आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं, इन्हें इस केस में ग्रामीण राजनीति के कारण फंसाया गया है। दोनों पक्षों के बीच दियारा में भूमि–विवाद को लेकर झगड़ा है, इस कारण से सूचक ने यह प्राथमिकी दर्ज कराया है। आवेदक के विरूद्ध बीएनएस धारा–109(1) एवं 303(2) तथा 27 आर्म्स एक्ट आकर्षित नहीं होता है, इसे मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक–योगेन्द्र पासवान हैं, जिनका कहना है कि, दिनांक–08.03. 2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन में अपना 'कटा हुआ राई का फसल' देखने गए थे, उसी समय जान मारने की नियत से सुधीर यादव, चुन्नू यादव, विजय यादव उर्फ बूढ़ा यादव, राजेश कुमार, पिता–डेगन पासवान, शंकर पासवान, अजय कुमार, सुधांशु कुमार, सौरभ कुमार, नरेश महतो, दीना महतो, भट्टु महतो, यदु महतो एवं राजेश महतो, पिता–नरेश महतो सभी लोग सूचक को घ ेरकर लाठी, डंडा, हसुआ, खुरपी, पिस्टल एवं बंदूक से मारने लगे। सुधीर यादव पिस्टल, बंदूक के बट से सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। चुन्नू यादव एवं विजय यादव बंदूक चलाया तथा नरेश, यदु और दीना ने जान मारने के लिए हसुआ एवं खुरपी चलाया। राजेश, शंकर, सौरभ और अन्य लोग भी लाठी एवं लोहे के रड से मारे। शिव कुमार सूचक को अधमरा

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–336 / 2026
पंडारक थाना कांड संख्या–60 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 351(2), 352, 3(5) बीएनएस एवं 27 शस्त्र अधिनियम
लगातार

07.08.2026

अवस्था में गांव लाया तथा अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ में भर्ती कराया।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी–योगेन्द्र पासवान का पुनः, ब्यान है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। साक्षी–संजीत कुमार उर्फ रंजीत कुमार का ब्यान है तथा कंडिका–7 में साक्षी–ललन कुमार का ब्यान है, इन दोनों लोगों ने अपने ब्यान में कहा है कि, 'राई की फसल एवं जमीन के अवैध कब्जे' को लेकर मार–पीट की घटना को अंजाम दिया गया है। इन सभी साक्षियों ने जान मारने की आशय से मार–पीट की बात नहीं कहा है। कांड दैनिकी के कंडिका–49 के अनुसार, आवेदक के विरूद्ध एक मामला दर्ज है, जोकि मार– पीट से संबंधित है, अन्य कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभिलेख पर जख्म–प्रतिवेदन मौजूद नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, उभयपक्षों के बीच 'फसल काटने और उस पर कब्जे' को लेकर विवाद एवं झगड़ा है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. राजेश कुमार उर्फ कुमुद रंजन प्रसाद, पिता–डेगन पासवान को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, वे वाद–विचारण में उचित पैरवी करेंगे एवं वाद के निष्पादन में न्यायालय को सहयोग करेंगे।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़